

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना 20/2022 केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 20/2020 केन्द्रीय कर दिनांक 28 मार्च 2018 जिसे सा.का.नि. 309(अ) दिनांक 28 मार्च 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे विखण्डन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, को विखण्डित करती है।

[फा.स.सीबीआईसी-20013/1/2022-जीएसटी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार